

21.08.18

करौली

पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। यह मुंढकिली प्रार्थना  
पत्र जिस प्रकार को स्थानांतरित करने का मत पेश किया  
जाया है उसका दिनांक 04.08.2016 को निर्णय हो चुका है।  
अतः यह मुंढकिली प्रार्थना पत्र प्रभावहीन हो जाने के कारण  
खारिज किया जाता है। पत्रावली फलल सुचारु होकर आगे  
लक्ष्मील दायिल दफतर हो।

अध्या  
जिला कलेक्टर  
करौली